Bar & Bench (www.barandbench.com)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3555] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 31, 2019/कार्तिक 9, 1941
No. 3555] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 31, 2019/KARTIKA 9, 1941

गृह मंत्रालय

(जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3937(अ).—भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन, जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में सा.का.नि. 1223(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2018 द्वारा यह घोषित करते हुए कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोगतव्य होंगी, उदघोषणा जारी की गई थी।

और संसद् ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) अधिनियमित किया है, जिसके द्वारा नियत तारीख से ही जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में पुनर्गठित किया गया है।

और केंद्रीय सरकार ने का.आ. 2889(अ), तारीख 9 अगस्त, 2019 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 31 अक्तूबर को नियत दिन के रूप में नियत किया है।

और भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 संघ राज्यक्षेत्रों को लागू नहीं होता है और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की दशा में सांविधानिक तंत्र की असफलता का मामला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 द्वारा शासित होता है, जो निम्नानुसार है :

"73. सांविधानिक तंत्र की असफलता के मामले में उपबंध—यदि राष्ट्रपति का, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; या

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।"

Bar & Bench (www.barandbench.com)

और जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से एक संसूचना प्राप्त हुई है कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन संविधान और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है।

और सांविधानिक और प्रशासनिक रिक्ति को निवारित करने के लिए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 का अवलंब लेना आवश्यक हो गया है।

आदेश

मैं, राम नाथ कोविन्द, भारत का राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल से एक रिपोर्ट प्राप्त की है और रिपोर्ट पर और प्राप्त अन्य सूचना पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है;

अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का और मुझे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं उदघोषणा करता हूं कि, मैं,--

(क) भारत के राष्ट्रपति के रूप में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के सभी कृत्यों को और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल में निहित या उसके द्वारा प्रयोगतव्य सभी शक्तियों को अपने हाथ में लेता हूं ;

(ख) घोषणा करता हूं कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल या विधान सभा की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोगतव्य होंगी ; और

(ग) निम्नलिखित आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध करता हूं, जो मुझे इस उदघोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत होते हैं, अर्थात् :--

(i) इस उदघोषणा के खंड (क) द्वारा अपने हाथ में लिए गए कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति के रूप में मेरे लिए उस परिमाण तक कार्य करना, जो मैं उप राज्यपाल के माध्यम से संविधान और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के उपबंधों के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए ठीक समझता हूं, विधिमान्य होगा ;

(ii) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के निम्नलिखित उपबंधों का प्रचालन निलंबित किया जाता है, अर्थात् :-

धारा 17 से धारा 26 (दोनों सम्मिलित) ;

धारा 29 से धारा 34 (दोनों सम्मिलित) ;

धारा 36 से धारा 49 (दोनों सम्मिलित) ;

धारा 53 की उपधारा (1) और उपधारा (3) ;

धारा 54 ;

धारा 55 का उतना भाग, जो मंत्री परिषद् के परामर्श पर कार्य करने से संबंधित है ;

धारा 56 ;

धारा 63 ;

धारा 68 और धारा 69 की उपधारा (3) का उतना भाग, जो मंत्री परिषद् के परामर्श पर कार्य करने से संबंधित है ; और

धारा 83 की उपधारा (1) का पहला परंतुक।

Bar & Bench (www.barandbench.com)

(iii) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में उप राज्यपाल के प्रति जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में किसी निर्देश का अर्थान्वयन राष्ट्रपति के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा और उसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल या विधान सभा में किसी निर्देश का अर्थान्वयन, जहां तक उसका संबंध उसके कृत्यों और शक्तियों से है, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संसद् के प्रति किया जाएगा और विशिष्टतया, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रति निर्देश उप राज्यपाल और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल या विधान सभा के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन क्रमश: राष्ट्रपति और संसद् या उसके सदनों के प्रति किया जाएगा :

परंतु इसमें की कोई भी बात राष्ट्रपति को इस खंड के उपखंड (i) के अधीन उस परिमाण तक कार्य करने से निवारित नहीं करेगी, जिस तक वह जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल के माध्यम से उचित समझे;

(iv) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल या विधान सभा के या उसके द्वारा बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल या विधान सभा की शक्तियों के उपयोग में संसद् द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 357 के खंड (1) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी के द्वारा इस उदघोषणा के माध्यम से बनाए गए अधिनियमों या विधियों के प्रति लगाया जाएगा और जहां तक साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) का संबंध है, जैसा यह राज्य विधियों को लागू होता है, का ऐसे किसी अधिनियम या विधि के संबंध में ऐसे प्रभाव होगा मानो यह जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र विधान-मंडल का कोई अधिनियम था।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

31 अक्तूबर, 2019

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Jammu and Kashmir Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2019

S.O. 3937(E).—WHEREAS *vide* G.S.R. 1223(E), dated 19th December, 2018, the President of India issued Proclamation under article 356 of the Constitution in relation to the State of Jammu and Kashmir, *inter alia*, declaring that the powers of the Legislature of the State of Jammu and Kashmir shall be exercisable by or under the authority of Parliament.

AND WHEREAS the Parliament has enacted the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) whereby on and from the appointed day, State of Jammu and Kashmir has been reorganised into the Union territory of Jammu and Kashmir and the Union territory of Ladakh.

AND WHEREAS *vide* S.O. 2889(E) dated 9th August, 2019, the Central Government has appointed the 31st day of October, 2019 as the appointed day for the purposes of the said Act.

AND WHEREAS article 356 of the Constitution of India is not applicable to the Union territories and the provision in case of failure of constitutional machinery in case of Union territory of Jammu and Kashmir is governed by section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 which reads as under:

Bar & Bench (www.barandbench.com)

"73. Provision in case of failure of constitutional machinery.—If the President, on receipt of a report from the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir, or otherwise, is satisfied,—

(a) that a situation has arisen in which the administration of the Union territory of Jammu and Kashmir cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act; or

(b) that for the proper administration of Union territory of Jammu and Kashmir it is necessary or expedient so to do,

the President may, by order, suspend the operation of all or any of the provisions of this Act for such period as he thinks fit and make such incidental and consequential provisions as may appear to be necessary or expedient for administering the Union territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provisions of this Act."

AND WHEREAS a communication has been received from the Governor of Jammu and Kashmir that the administration of the successor Union territory of Jammu and Kashmir, cannot be carried on in accordance with the provisions of the Constitution and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019.

AND WHEREAS in order to prevent any constitutional and administrative vacuum, it is necessary to invoke section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 read with articles 239 and 239A of the Constitution for the proper administration of the Union territory of Jammu and Kashmir.

ORDER

WHEREAS I, Ram Nath Kovind, President of India, have received a report from the Governor of the State of Jammu and Kashmir and after considering the report and other information received by me, I am satisfied that a situation has arisen in which administration of the Union territory of Jammu and Kashmir cannot be carried on in accordance with the provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 read with articles 239 and 239A of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby proclaim that I—

(a) assume to myself as President of India all functions of the Government of Union territory of Jammu and Kashmir and all powers vested in or exercisable by the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir;

(b) declare that the powers of the Legislature or Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be exercisable by or under the authority of Parliament; and

(c) make the following incidental and consequential provisions which appear to me to be necessary or desirable for giving effect to the objects of this Proclamation, namely:–

(i) in exercise of the functions and powers assumed to myself by virtue of clause (a) of this Proclamation, it shall be lawful for me as President of India to act to such extent as I think fit through the Lieutenant Governor for administering the Union territory of Jammu and Kashmir in accordance with the provisions of the Constitution and the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019;

Bar & Bench (www.barandbench.com)

(ii) the operation of the following provisions of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir is hereby suspended, namely:—

sections 17 to 26 (both inclusive);

sections 29 to 34 (both inclusive);

sections 36 to 49 (both inclusive);

sub-section (1) and sub-section (3) of section 53;

section 54;

so much of section 55 as relates to acting on the advice of the Council of Ministers;

section 56;

section 63;

so much of section 68 and sub-section (3) of section 69 as relates to acting on the advice of the Council of Ministers; and

first proviso to sub-section (1) of section 83.

(iii) any reference in the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 to the Lieutenant Governor shall, in relation to the Union territory of Jammu and Kashmir, be construed as a reference to the President, and any reference therein to the Legislature or Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall, in so far as it relates to the functions and powers thereof, be construed, unless the context otherwise requires, as a reference to Parliament, and, in particular, the references in the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 to the Lieutenant Governor and to the Legislature or Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir, shall be construed as references to the President and to the Parliament or the Houses thereof respectively:

Provided that nothing herein shall prevent the President from acting under sub-clause (i) of this clause to such extent as he thinks fit through the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir;

(iv) any reference in the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 to Acts or laws of, or made by, the Legislature or Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir shall be construed as including a reference to Acts or laws made, in exercise of the powers of the Legislature or Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir, by Parliament by virtue of this Proclamation, or by the President or other authority referred to in sub-clause (a) of clause (1) of article 357 of the Constitution and so much of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), as applies to State laws, shall have effect in relation to any such Act or law as if it were an Act of the Legislature of the Union territory of Jammu and Kashmir.

RAM NATH KOVIND

President

New Delhi

31st October, 2019.

Bar & Bench (www.barandbench.com)

आदेश

संविधान के अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 239क के साथ पठित, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 तथा उस निमित मुझे प्रदत्त अन्य सभी शक्तियों के अधीन, मेरे द्वारा तारीख 31 अक्तूबर, 2019 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (i) के अनुसरण में, मैं निदेश देता हूं कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के सभी कार्य और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में लागू किसी अन्य विधि के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल में निहित अथवा उनके द्वारा प्रयोगतव्य सभी शक्तियां, जिन्हें राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा के खण्ड (क) के आधार पर स्वयं ग्रहण कर लिया है; राष्ट्रपति के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के उप राज्यपाल द्वारा भी प्रयोगतव्य होंगी।

राम नाथ कोविन्द

राष्ट्रपति

नई दिल्ली

31 अक्तूबर, 2019

[फा. सं. 11014/05/2014-के-I]

अजय कुमार भल्ला, गृह सचिव

ORDER

In pursuance of sub-clause (i) of clause (c) of the Proclamation issued on this, the 31st October, 2019, by me under section 73 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 read with articles 239 and 239A of the Constitution and of all other powers enabling me in that behalf, I hereby direct that all the functions of the Government of the Union territory of Jammu and Kashmir and all the powers vested in or exercisable by the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir under the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 or under any law in force in the Union territory of Jammu and Kashmir, which have been assumed by the President by virtue of clause (a) of the said Proclamation, shall, subject to the superintendence, direction and control of the President, be exercisable also by the Lieutenant Governor of Union territory of Jammu and Kashmir.

New Delhi RAM NATH KOVIND

31st October, 2019. *President*

[F. No. 11014/05/2014-K.I]

AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.